रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243905
CG-DL-E-24022023-243905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
No. 105] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 127(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग, समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1986 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) में मल्टी टास्किंग स्टाफ (ग्रुप 'सी') के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) (ग्रुप 'सी) मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2022 कहा जा सकता है। (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो जिनकी पति या पत्नी जीवित है,

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी और व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो, कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्ति और शादी के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

5. **शिथिलीकरण की शक्ति.-** जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी भी व्यक्ति या वर्ग या श्रेणी के संबंध में आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों का कोई भी प्रावधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा। ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयन पद या अचयन पद है	क्या के.स.सेवा (पेंशन) नियमवली, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों के लाभ स्वीकार्य हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)।	187*(2022) *. कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित और अनुनसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900/-).	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18 से 25 साल की उम्र सीमा नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास	लागू नहीं	दो साल	सीधी भर्ती द्वारा

जिस पद से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ ग्रेड आमेलन के मामले	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती के लिए जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं।	समूह 'ग' स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग - अध्यक्ष। 2. अवर सचिव (प्रशासन) विधि कार्य विभाग -सदस्य। 3. अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) विधायी विभाग - सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. 12018/1/2018-प्रशा.II(वि.का)]

विजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February , 2023

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department, Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff (Group 'C') in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1)These rules may be called the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) (Group 'C) Multi Tasking Staff Recruitment Rules,2022. (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte.
2. **Number of Posts, classification and scale of pay.**- The number of posts, its classification and the Pay Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** -No person,
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and the there are other grounds for so doing, exempts any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may , by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post(s)	Classification	Pay Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CSS (Pension) Rules,1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MULTI-TASKING STAFF (MTS).	187*(2022) * Subject to variation dependent of work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted and Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (₹18000-56900/-).	Not applicable.	Not applicable.

Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Between 18 and 25 years of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years	By direct recruitment.

In case of recruitment by/promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration) Department of Legal Affairs or Legislative Department – Chairman 2. Under Secretary (Administration) Department of Legal Affairs -Member. 3. Under Secretary or Section Officer (Administration) Legislative Department -Member.	Not Applicable.

[F. No.12018/1/2018-Admn.II(LA)]

VIJAY K UMAR SHARMA, Jt. Secy. & Legal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.24 22:39:19 +05'30'